

#shahjahanpurpol

प्रेस नोट दिनांक : 10 सितम्बर – 2022

थाना पुंवायाँ पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा छापेमारी कर अपमिश्रित शराब बनाते हुए BDC मेम्बर सहित 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार, अवैध देशी तमंचा, अवैध 50 लीटर अपमिश्रित शराब व 05 किलो यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री एस.आनन्द के कुशल निर्देशन , पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री संजीव कुमार बाजपेई व क्षेत्राधिकारी पुवायाँ श्री पंकज पंत के कुशल पर्यवेक्षण मे चलाये जा रहे अवैध शस्त्र एवं उसका निर्माण तथा बिक्री एवं अवैध हथियार के दुरुपयोग को रोकने तथा अवैध शराब की बिक्री करने वालो के विरुद्ध सघन अभियान के क्रम मे थाना पुंवायाँ पुलिस टीम द्वारा छापेमारी कर 02 अभियुक्तो को अवैध देशी तमंचा, अवैध अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरणो के साथ गिरफ्तार किया गया एक व्यक्ति फरार ।

दिनाँक 09.09.22 थाना पुंवायाँ पुलिस को मिली सूचना के आधार पर जगह - जगह अलग अलग स्थान पर छापेमारी की गयी जिससे थाना पुंवायाँ पुलिस टीम को कामयाबी मिली ।थाना पुंवायाँ पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त 1. जितेन्द्र कुमार पुत्र दाताराम(**BDC मेम्बर**) 2. अंकित पुत्र दाताराम निवासीगण ग्राम ककराहा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर को अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, 50 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 1.5 किलो यूरिया खाद व शराब बनाने के उपकरण एक सिलेन्डर, भट्टी, पाईप के साथ गिरफ्तार किया गया । एक व्यक्ति दिनेश पुत्र भगवानदीन निवासी मो0 ककराहा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया । पकड़े गये अभियुक्तगण जितेन्द्र कुमार व अंकित पुत्रगण दाताराम निवासी ग्राम ककराहा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । फरार व्यक्ति की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है

गिरफ्तार अभियुक्तगण : -

1. जितेन्द्र पुत्र दाताराम (**BDC मेम्बर**) निवासी ग्राम ककराहा थाना पुवाया जनपद शाह0पुर(अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम, 272 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट)
2. अंकित पुत्र दाताराम निवासी ग्राम ककराहा थाना पुवाया जनपद शाह0पुर (अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि)
3. दिनेश पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम ककराहा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर (अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम) फरार

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

1. मु0अ0सं0 777/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पुंवायाँ शाह0पुर बनाम अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त ।
2. मु0अ0सं0 778/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम , 272 भादवि थाना पुंवायाँ शाह0पुर बनाम जितेन्द्र, अंकित व दिनेश(फरार) उपरोक्त ।

बरामदगी : -

1. 01 अदद नाजायज देशी तंमचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. 50 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची खराब
3. 1.5 किलो यूरिया खाद ।
4. शराब बनाने के उपकरण (एक सिलेन्डर, भट्टी, पाईप)

अपराधिक इतिहास:-

*अभियुक्त अंकित पुत्र दाताराम –

1. मु0अ0सं0 317/2022 धारा 363 भादवि थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर ।
2. मु0अ0सं0 2055/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर ।
3. मु0अ0सं0 778/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर ।

*अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र दाताराम-

1. मु0अ0सं0 777/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर ।
2. मु0अ0सं0 778/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर ।

*अभियुक्त दिनेश पुत्र भगवानदीन

1. मु0अ0सं0 500/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर ।
2. मु0अ0सं0 757/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर ।
मु0अ0सं0 778/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर ।

विस्तृत पूछताछ:-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तो से क्रमवार पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि साहब हम हारवेस्टर चलाने के कार्य करते है । लेकिन आफ सीजन होने के कारण घर मे आर्थिक तंगी होने से अपनी रोजी-रोटी के लिये शराब बनाने का काम करता है । हम लोग अपने साथी दिनेश पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम ककराहा थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर के साथ मिलकर पुलिस से छुपकर गांव के गन्ने के खेतो मे रात के समय भट्टी लगाकर कच्ची शराब बनाते है तथा आस पास के गांव के ग्रामीणो को 100 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से शराब बेचते है । यही हमारी आजीविका का साधन है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री राजाराम
2. का0 558 अमित शर्मा
3. का0 2171 परीक्षित तेवतिया
4. का0 2634 जतिन चौधरी
5. का0 897 अक्षय बालियान
6. का0 2087 विशाल कुमार